जयपुर शहर (प्रथम)

15/11/19 पत्रावली नियत हुई। वकील प्रार्थी व वकील अप्रार्थीगण वकील प्रार्थी एवं प्रार्थीगण को बार बार कई बार न्यायालय समय में न्यायालय समय ~~समाप्त~~ तक आवाजे लगवाई गई। परन्तु प्रार्थीगण एवं वकील प्रार्थीगण उपस्थित नहीं हुए। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अग्रिम सुनवाई अग्रिम पेशी तक लम्बित किया जाता है। पत्रावली को नस्ती के साथ रिकार्ड किया जाकर रिकार्ड दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर एवम्
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
जयपुर शहर (प्रथम)

Signature Not Verified
Digitally signed by Praveen Kumar Agarwal
Date: 2019.11.22 11:49:47 IST
Reason: SelfAttested